

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य निर्देश (वार्षिक प्रविष्टियाँ)(100)//2017-18// 3965 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक 09 अक्टूबर, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, 30प्र0 ।

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, 30प्र0 ।

विषय:- कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियाँ समय से दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन हेतु शासन द्वारा समय सारिणी निर्धारित है । समूह-ग एवं घ के कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियाँ समय से अंकित न होने के कारण उन्हें देय लाभ यथासमय से प्राप्त नहीं हो पाते हैं ।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार राज्याधीन सेवाओं में सृजित / उपलब्ध पदों में से पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों के फलस्वरूप पदोन्नति की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित है । सूच्य है कि प्रश्नगत कार्यवाही राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है ।

उक्त क्रम में यू0पी0 वाणिज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा मा0 मुख्यमंत्री, 30प्र0 सरकार से कर्मचारियों के वार्षिक प्रविष्टियाँ समय से प्रदान कराने हेतु मांग की गई है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जोन / सम्भाग में कार्यरत समूह-ग व घ के कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियाँ वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त अभियान चलाकर इन्हें पूर्ण कराने का कष्ट करें ।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ ।
- 2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को उक्त पत्र की प्रति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 3- पटल प्रभारी 5(क) / स्था-5(ग) / 3(क) / 3(ख) को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु ।

09/10/17

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।